BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, DELHI

Original Application 134/2022

In the Matter of :

Tejasvi Chandra --- Applicant

Vs.

Madhu Kamboj --- Respondent

Next Date: 10.10.2022

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of the Respondent Mrs. Madhu Kamboj with supporting affidavit.	1-16
2.	**Annexure-R1** True copy of NOCs is collectively	17-34
3.	**Annexure-R2** A true copy of RTI and Reply are collectively	35-40
4.	**Annexure-R3** A true copy of the undertaking by the principal	41
5.	**Annexure-R4** True and correct copy of the order passed by this Hon'ble Court in WPMS No. 986 of 2021 dated 13.05.2021.	42-45

NEW DELHI

DATED: 5th October, 2022

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, DELHI

Original Application 134/2022

In the Matter of :

Tejasvi Chandra --- Applicant

Vs.

Madhu Kamboj --- Respondent

REPLY ON BEHALF OF THE PROJECT PROPONENT (RESPONDENT)

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-

At the outset before giving para wise reply, the respondent submits that unless and until they specifically admit, all the allegations made in the present OA by the applicant herein are vehemently denied being false and frivolous and bereft of any merit.

Further before giving para wise reply to each and every allegation the respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to put forth certain objections by way of Preliminary objections and Preliminary submissions.

PRELIMINARY OBJECTIONS:

1. That the present application is barred in the eye of law for non-compliance with the provision, law enumerated and on ground of principal of natural justice.

2. The applicant has not come to Hon'ble Tribunal with clean hand and suppressed the material fact of the suit, thereto guilty of supressio vary & suggestio falsi.

3. The present application is not liable for any relief before this Tribunal for non-joinder of necessary and proper party of the transactions/dispute. Hence, application is liable to dismiss on this ground alone.

4. The present application even through barred on the principal of res-judicata, as such applicant with different names filed an ***OA/116/2021 titled as "Bhagwati Prasad Dabral Vs. State of Uttarakhand & Ors."*** before the principal bench of the Hon'ble Tribunal with the same cause of action and the same was dismissed by the Hon'ble Tribunal on 28.05.2021 on the ground of non-prosecution, wherein held that *non appears for the applicant, we have considered the matter. The violations alleged in the application needs to be looked into in the first instance, by the District Magistrate, Dehradun. Ordered accordingly.*

5. That the application has been filed by the applicant in gross abuse of the process of law in as much as no cause of action has been arisen for filing instant applicant and the same is liable to be dismissed.

6. That the present application has been filed to humiliate the respondent and stressed her personal life and liberty by the applicant as such there is no grievances against the respondent.

7. The application is not maintainable in its present form. The application is malicious, collusive and is writ large from

even the perusal of the pleadings in the application thus rendering it liable to be dismissed.

8. The applicant has not been approached to Hon'ble Tribunal with clean hand and has been filed malicious application by concealing material facts and is not maintainable with a view to mislead Hon'ble Tribunal into passing orders in its favour.

9. The present application is not maintainable as the alleged documents in support of the claim are unreliable, inadmissible in evidence and cannot be considered by this Hon'ble Tribunal for any purpose whatsoever.

10. That present respondent has applied with IOC on 25.11.2018 for retail outlet dealership of Indian Oil Corporation Limited (hereinafter referred to as IOCL) at location Kedarpur Chowk to Mothrowala post office on Mothrowala, district Dehradun by way of an application form No. 15442012259760 and the same was assessed on 02.11.2020 by issuing letter of intent Ref:M/2020/IN0002138/UTK/000005/1505/00005.
Moreover, on 31.12.2020 the Office of District Collector Dehradun, issued letter No. 268/2020-21 to Fire Station Officer, Dehradun to provide inspection report in respect of land. Therefore, as per office memorandum dated 29.01.2021 passed by the Central Pollution Control Board (CPCB) clearly states that "In other words, the sitting criteria will not apply to those cases where PESO prior clearance / initial approval has been obtained and

subsequently construction has been started by the OMC before 07.01.2020. Furthermore, in present matter respondent has already taken the entire NOC from the concern department(s) and construction of the pump was also done prior to enforcement of the new policies. Hence, respondent not violates any guidelines. A true copy of NOCs is collectively annexed herewith as **Annexure-R1.**

11. Furthermore, the respondent brought to the notice of the Hon'ble Tribunal upon the School applicant plea was filed was also illegally constructed at place, without sanctions and approval, even though school floor plan was not exist in the municipal record. On 18.08.2022 MDDA in response of RTI filed by Adv. Pankaj Negi, Dehradun, wherein it was informed that MAP of Khasra No. 1081 A Sierra Senior International School, Mothrowala Dehradun was rejected and as such no map was registered. Moreover, 2nd RTI dated 18.08.2022 filed by the Satendar Rawat in respect of MAP of Khasra No. 1081 A Sierra Senior International School, Mothrowala Dehradun. In reply of RTI no. 01067 dated 20.08.2022 MDDA informed that as such no map was approved in the name of Sierra Senior International School, Mothrowala Dehradun. A true copy of RTI and Reply are collectively annexed herewith as **Annexure-R2.**

12. It is submitted by the respondent that on 29.06.2021 Sierra Senior International School, Mothrowala Dehradun issued NOC that currently running he current location due to COVID pandemic. In near future, school will be shifted 2 Kms away from current location. Hence, School do not have

any objection with petrol pump on the proposed site. A true copy of the undertaking by the principal is annexed herewith as **Annexure-R3.**

13. That the answering respondent craves liberty of the Hon'ble Tribunal to plead certain facts by way of preliminary submissions which will enlighten the true and correct facts of the present case.

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

1. In the present case admittedly the LOI and the initial approval were granted before 07.01.2020. It is stated that the process to set up the instant petrol pump had started in the year 2018 when the advertisement was issued. The advertisement was followed by the process of allocation of the distributorship after verification of the documents and finally the letter of intent was issued on 06.12.2019, as such the initial approval for establishing the retail outlet was obtained prior to 07.01.2020, thus, the CPCB guidelines are not applicable to the present case. Moreover, on 29.01.2021 the CPCB issued a clarification that the guidelines dated 07.01.2020 would not apply to those cases where in initial approval has been obtained and construction has been started before 07.01.2020.

2. That the respondent's husband purchased the property bearing Khasra no 1081 in village Mothrowala, district Dehradun by way of a sale deed dated 19.03.1997 which is registered before subpage 278 registrar Dehradun as document no 1187 in book no 1 volume 3.

3. That for the aforesaid property the respondent applied for retail outlet dealership of Indian Oil Corporation Limited (hereinafter referred to as 10CL) at location Kedarpur Chowk to Mothrowala post office on Mothrowala, district Dehradun by way of an application form R15442012259760 on 25.11.2018.

4. That the application of the respondent for the retail outlet dealership was considered and letter of intent was issued by IOCL on 02.11.2020.

5. That the respondent had completed all the necessary terms and Conditions as prescribed by IOCL and further obtained all the necessary NOCs from the concerned departments required for proper operations of the Filing Station. For ready reference true typed and correct copy of the NOC obtained from the District Magistrate Dehradun on 20.03.2021 along with NOCs/Permission obtained from District Supply Officer Dehradun, Chie Fire Officer, Executive Engineer PWD, Executive Engineer, MDDA, Chief Controller of explosives, Circle Officer Dehradun, SHO Dehradun as well as Legal Metrology Officer is respectively.

6. That the respondent has also applied before the Mussoorie Dehradun Development Authority (hereinafter referred to at MDDA (respondent no 3) for sanctioning of the map bearing File No C- 0342/20-21 to construct the Filing

Station on the property but certain objections were raised on 19.01.2021 whereby the respondent has also submitted for relaxation of the ‘map and requested that the said 0be placed for approval before the Board.

7. That on 07.04.2021, the respondent again made a reminder application to concern authority requesting them to decide upon and to provide their sanctioned map as applied for by way of application no 0342/20-21.

8. That in the meanwhile the respondent has demolished roof and has a temporary shed and canopies on the property and is temporarily carrying out his work and has also received all the necessary NOCs from every department without facing any problems and is simultaneously carrying out all documentation required for the purposes of getting the map sanctioned.

9. That out of nowhere, one Mr. Trilok Semwal who is neither a necessary person nor an aggrieved person filed a complaint before respondent on 04.05.2021 and the complaint was raised on the ground that the said filling station is operational without a sanctioned map,

10. That the ‘respondent appeared before authorities and made an application for getting relaxation in the map and placing it before the Board for approval and further stated that they will provide all the NOCs required for getting the final approval of the map and sanction letter.

11. That further one Mr. Trilok Semwal, S/o- Heera Mani Semwal R/o- Mothrowala, Dehradun who has filling station on the same side of the road at the distance of 2 km, belonging to Bharat Petroleum, in the name of Semwal Filing station approached to this High Court of Nanital, Uttarakhand by filing Writ Petition no 986 of 2021 praying for a writ of mandamus directing the respondents to take action against illegal construction being made by private respondent, who is the respondent in this matter. For ready reference, true and correct copy of the order passed by this Hon'ble Court in WPMS No. 986 of 2021 dated 13.05.2021 is annexed herewith as **Annexure-R4**.

12. Meanwhile the ulterior motive of the applicant and Mr. Trilok Semwal was not satisfied in their sinister motive before the High Court, thereto, moved before the Hon'ble Tribunal to demolished the entire source of income of the respondent on plea in the name of school, that was also illegally constructed, planned not approved and huge kids future and safety are compromised every day. Despite know the fact that Mr. Trilok Semwal petrol pump also runs in the same locality.

13. That it is pertinent to mention here that the entire proceedings of sealing started on a complaint which was motivated as it was filed by a person who has nothing to do with respondent's property and who himself has a petrol pump of Bharat Petroleum within a distance of 2km of the pump of the respondent and hence the petition was filed on business rivalry.

14. That all the other necessary requirements of obtaining permissions NOC from various authorities has already been done and only the map to approved in remaining and multiple requests have already been raised by the respondent to decide upon the same.

PARA WISE REPLY ON MERITS:

1. In response to the content of Para 1 are wrong and denied. It is correct that the central Pollution Control Board on 07.01.2020 issued guidelines for setting up new petrol pump. As per guideline hereto to ensure health and safety of inhabitants and children's it was directed that new retails outlets of petrol pumps shall not be located within a radial distance of 50 meters from schools, hospitals, and residential areas. Further, in no case the distance between the retail outlets from schools, hospitals and residential areas was to be less than 30 meters.

   It is denied that the above said petrol pump is constructed and even selling fuel adjoining the boundary wall of Sierra International School (0.0. meters). It is correct that the said pump is also located within a residential area but not an agricultural land. It is denied that the said pump is constructed by Mrs Madhu Kamboj in complete disregard to above guideline. It is submitted that the respondent has applied with IOC on 25.11.2018 for retail outlet dealership of Indian Oil Corporation Limited (hereinafter referred to as IOCL) at location Kedarpur Chowk to Mothrowala post office on Mothrowala, district Dehradun 9760 and the same was

assessed on 02.11.2020 by issuing letter of intent. Moreover, the Office of District Collector Dehradun, provide inspection report in respect of land.

2. In response to the content of Para 2 are wrong and denied and correct upto the extent and it is matter on record that the National Green Tribunal in a similar matter of Gyan Prakash Vs. Union of India its order dated 22.07.2019, has directed that new petrol pumps be constructed in a safe distance from residential areas keeping in view the safety and health of the inhabitants. It is denied that above said petrol pump is constructed by Mrs. Madhu Kamboj in a residential area in complete disregard to this order. It is submitted that the respondent has applied with IOC on 25.11.2018 for retail outlet dealership of Indian Oil Corporation Limited (hereinafter referred to as IOCL) at location Kedarpur Chowk to Mothrowala post office on Mothrowala, district Dehradun 9760 and the same was assessed on 02.11.2020 by issuing letter of intent. Moreover, the Office of District Collector Dehradun, provide inspection report in respect of land. Therefore, as per office memorandum dated 29.01.2021 passed by the Central Pollution Control Board (CPCB) clearly states that "In other words, the sitting criteria will not apply to those cases where PESO prior clearance / initial approval has been obtained and subsequently construction has been started by the OMC before 07.01.2020. Furthermore, in present matter respondent has already taken the entire NOC from the concern department(s) and construction of the pump was also done prior to enforcement of the new policies. Hence, respondent not violates any guidelines.

Furthermore, the respondent brought to the notice of the Hon'ble Tribunal upon the School applicant plea was filed was also illegally constructed at place, without sanctions and approval, even though school floor plan was not existed in the municipal record. It is submitted by the respondent that on 29.06.2021 Sierra Senior International School, Mothrowala Dehradun issued NOC that currently running he current location due to COVID pandemic. In near future, school will be shifted 2 Kms away from current location. Hence, School does not have any objection with petrol pump on the proposed site.

3. In reply of Para 3 are baseless, false, frivolous and denied for wants of knowledge, as such respondent is not a highly qualified ladies to aware laws applicable on the project. The applicant is liable to be put to strict proof of the said contents.

4. In response of Para 4 are baseless, false, frivolous and denied for wants of knowledge, as such respondent is not a highly qualified ladies to aware about procedure the applicant is liable to be put to strict proof of the said contents. It is a correct that as per Rule 144 of Petroleum Rules 2002, an applicant applying for a license to operate a new petrol pump must first apply to district authority for a no-objection Certificate. It is partly correct that the application for the same must be accompanied by two copies of site plan showing location of proposed premises, on receiving such application, the District Authority must conduct an inquiry. It is partly correct that on such inquiry if District authority is satisfied that there is no objection to the applicant receiving license for the site proposed, it may

grant non-objection certificate to the applicant. Only on issuance of a non-objection certificate by the District Authority, can the applicant apply for a license for operating a new petrol pump to the controller for the same. It is denied that Mrs. Madhu Kamboj even without obtaining the approved map has constructed the said petrol pump and the petrol pump and the petrol pump was sealed by the MDDA on 22.07.2021 on the grounds of illegal construction without the map being approved. It is denied that the person concerned has now started selling fuel in the sealed petrol pump outlet and has disregarded the guidelines laid down by the NGT.

5. In response of unnumbered paras are baseless, false, frivolous and denied, for wants of knowledge, the applicant is liable to be put to strict proof of the said contents.

6. In response of unnumbered paras are matter on record, needs no reply.

7. In response of unnumbered paras are baseless, false, frivolous and denied, for wants of knowledge, the applicant is liable to be put to strict proof of the said contents.

8. In response of unnumbered paras are baseless, false, frivolous and denied, for wants of knowledge, the applicant is liable to be put to strict proof of the said contents.

9. In response of the prayer clause also denied in lieu of the preliminary submissions, as such concealment of facts by the applicant. Hence, dismissed the OA with exemplary cost for desecrate judicial time and legal machinery.

Any other order that may be deemed fit in the circumstances may also be passed.

NEW DELHI

DATED: ~~August, 2022~~
5th Oct, 2022

(Madhu Kamboj)

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

NOTARY
Mrs. ...ta Rani
Advocate
Distt. ... Dehradun
Reg. ...01/2018
Exp.Date 24-07-2023
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

This affidavit is solemnly affirmed sworn, signed and verified the contents by Mr./Mrs........ ....
who is identified ... Mr...
at Place Dehra ...

22/8/2022

Mrs ... Rani
Advocate & NOTARY
Civil. Court, Dehradun
(Uttarakhand) INDIA
No -23/01/201

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, DELHI

Original Application No. 134/2022

In the Matter of :

Tejasvi Chandra --- Applicant

Vs.

Madhu Kamboj --- Respondent

AFFIDAVIT

Affidavit of Madhu Kamboj, W/o Ravinder Kumar Kamboj, age about 58 years, Resident of Darshan Kunj, New Canal Road, Mothrowala, Dehradun, Uttarakhand 248001, presently at New Delhi.

I, the abovenamed deponent do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the deponent and am familiar facts of the case and as such, competent to swear the present affidavit.

2. That the accompanying reply has been drafted by my counsel under my instructions and the contents of the same are true and correct to my knowledge.

Madhu

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Mrs. Sunita Rani Advocate Dehradun Distt. Reg. 2018 Exp. Date 24-07-2023

VERIFICATION:

Verified at DEHRADUN on this 22nd day of August, 2022 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Madhu

DEPONENT

Sign identified by

S. S. Rawat
Advocate
Court Compound, Dehra Dun

NOTARY
Mrs. Sunita Rani
Advocate
Dehradun
Distt. ...
Reg. ... 2018
Exp. Date 24-07-2023
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

R. No. 3357/22

This affidavit is solemnly affirmed sworn, signed and verified the contents by Mr./Mrs.......... Madhu who is identified by Mr...... S. S. Rawat (Adv.) at Place Dehra Dun 22/8/2022

Mrs. Sunita Rani
Advocate & NOTARY
Distt. Court, Dehradun
(Uttarakhand) INDIA
No. -23/01/20..

14332/2021/ERK
18/01/21

जिलाधिकारी
16 JAN 2021
देहरादून

OC C/C
प्रभारी अधिकारी
दिनांक......... आंग्ल अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, देहरादून

दूरभाष न० 2716203 (का0) 2716205(आ0) 2716204(फैक्स)एसटीडी कोड–0135
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून(उत्तराखण्ड)
72, राजपुर रोड देहरादून–248001

पत्रांकः एसटी–एसएसपी–01(एनओसी)/2021 दिनांकः जनवरी 16 ,2021

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

कृपया आप अपने पत्रः 268/परि0–20–21 दिनांक 31.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो भूमि खसरा न0 1081क ग्राम ग्राम मोथरोवाला देहरादून में प्रस्तावित पैट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आपत्ति/अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून की आख्या मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः यथोपरि।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
देहरादून।

FIRE NOC

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून
पत्रांकः न–4 / सीएफओ / पेट्रोल पम्प–D-PE-05-2020 दिनांक–जनवरी 12, 2021
सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद–देहरादून।

महोदय,

कृपया अपर अधिकारी (प्र0), देहरादून महोदय के पत्र संख्या : 268 / परि0–2020–21 दिनॉक 31.12.2020 एव आवेदक द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 31685079 दिनांक 05.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भूमि खसरा न0 1081 KA ग्राम मोथरोवाला तहसील / जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0 / बी रिटेल आउटलेट (इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) स्थापित करने के सम्बन्ध में विभागीय आपत्ति / अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी देहरादून की संस्तुति आख्या दिनांक 08.01.2021 को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–
1 निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की विद्युत लाईन नही गुजर रही है।
2 निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुँच सकता है।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में निम्नांकित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का होना आवश्यक हैः–

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग को छोडकर तीनों ओर से कम से कम 3½ मीटर ऊची बाहर दीवारी की जायेगी। अग्निशमन उपकरणों की देखरेख / संचालन हेतु प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी / गार्ड रखना आवश्यक है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प में बनने वाले कक्ष की टैरेस में 05 हजार लीटर पानी की क्षमता के टैंक का प्राविधान किया जायेगा, उक्त टैरेस टैंक से सम्बद्ध 30 मी0 लम्बाई की होज रील का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। होज रील को प्रेशर युक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए टैरेस टैंक के पास उचित क्षमता के फायर पम्प का प्राविधान करना आवश्यक होगा।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के समीप लाल रंग के टिन शेड का निर्माण किया जायेगा जिसमे बडे–बडे अक्षरो मे **"आग (फायर)"** लिखा जायेगा।
4. उक्त टिन शेड मे चार अदद मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्यूशर प्रत्येक 09 ली0 क्षमता के तथा दो अदद ए0बी0सी0 एक्सटिंग्यूशर प्रत्येक 09 किग्रा0 क्षमता के रखे जायेंगें, साथ ही 08 अदद सेण्ड बकेट ब्रेकट में टंगी रहेगी।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के मेन विद्युत पैनल बोर्ड के पास 4.5 किग्रा0 क्षमता का एक सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर रखा जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प में छोडे गये सेट बैक तथा बफर स्ट्रिप से फ्यूल प्वाइट की दूरी तक कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के पृष्ठ व दोनो पार्श्व मे न्यूनतम 3.00–3.00 मीटर सेट बैक आवश्यक होगें।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प मे अग्नि सुरक्षा नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओ का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा तथा मुख्य नियन्त्रक, विस्फोटक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. पेट्रोलियम रूल्स 1976 (यथासंशोधित) के प्रस्तर 30 के अनुसार ड्रेजेस, प्रस्तर 127 के अनुसार अर्थिंग आफ टैंक किसी सक्षम अभियन्ता की देखदेख में ही करवाया जायेगा।
10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प में डीजल / पेट्रोल भरने का कार्य सूर्यास्त से पूर्व तथा सूर्योदय के बाद ही किया जायेगा।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के पास फायर स्टेशन का टेलीफोन न0–01360–222261, 101 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 112 एवं आपातकालीन एम्बूलेंस सेवा का टेलीफोन न0 108 स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।
12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प की विद्युत व्यवस्था फ्लेम प्रुफ एवं एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
13. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प के बाहर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।
14. O.I.S.D द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें। तथा अन्य प्रावधान जो भारतीय पैट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हो, लागू होंगे।

अतः उपरोक्त वर्णित अग्नि सुरक्षा बिन्दुओं तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट–3 एवं पार्ट–4 में वर्णित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं, पेट्रोलियम रूल्स 2002, भारतीय विद्युत नियमावली के मानकों एवं उत्तराखण्ड के शासन के संशोधित शासनादेश स0 837 / V–2–2016–127(आ0) / 15–टी.सी. दिनांक 03 जून 2016 एवं शासनादेश स0 998 / V–2–2020–56(आ0) / 2016 दिनांक 15 सितम्बर 2020 के मानकों को पूर्ण किये जाने तथा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के पास की गयी प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण–पत्र (Pre-Operational) लिये जाने की शर्त पर प्रश्नगत स्थल पर पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु प्रारम्भिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (Pre-Establishment) निर्गत करने मे इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा।

12/1/21
(आर0 एस0 बिष्ट)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

14356/2021/ERK
18/01/21

04 G.C

दिनांक.............. प्रभारी अधिकारी
आंग्ल अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, देहरादून

जिलाधिकारी
16 JAN 2021
देहरादून

टेलीफोन न0 2716203 (का0) 2716205(आ0) 2716204(फैक्स)एसटीडी कोड–0135
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून(उत्तराखण्ड)
72, राजपुर रोड देहरादून–248001

पत्रांकः एसटी–एसएसपी–01(एनओसी)/2021 दिनांकः जनवरी 15,2021

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

कृपया आप अपने पत्रः 268/परि0–20–21 दिनांक 31.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो भूमि खसरा न0 1081क ग्राम ग्राम मोथरोवाला देहरादून में प्रस्तावित पैट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आपत्ति/अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी से जांच कराई गई। क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी की आख्या मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः यथोपरि।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
देहरादून।

SSP NOC

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद देहरादून

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-एसटी-एसएसपी-01(एनओसी)/21 दिनांक 01-01-2021 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, भूमि खसरा न0 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून मे प्रस्तावित न्यु पैट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध मे थाना नेहरु कालोनी से जांच करायी गयी तो थानाध्यक्ष नेहरु कालोनी की आख्यानुसार आवेदिका का नाम श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज नि0 दर्शन कुंड न्यू कैनाल रोड़ मोथरोवाला देहरादून के निवासी है। उक्त भूमि स्थल के सम्बन्ध मे वर्तमान मे कोई विवाद नही है। उक्त स्थान पर अग्नि शमन वाहन सुगमता से पहुंच सकता है एवं 06 बडे वाहन 15 छोटे दो पहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। आस पास के क्षेत्र मे यातायात प्रभावित होने की सम्भावना नही है। प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक पर किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगण से उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की विधुत लाईन नही गुजरती है। अतः प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प खोले जाने में कोई आपत्ति नही है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा मे प्रेषित है।

संलग्नक-
1-समस्त दस्तावेज- 05 वर्क

Pallavi
(पल्लवी त्यागी)
क्षेत्राधिकारी नेहरु कालोनी
जनपद देहरादून

पत्रांक-सीओ0ने0का0-01(एनओसी)/21
दिनांक-जनवरी 2021

OBNo 01/21
Bypass.

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या-260 / परि0-2020-21

दिनांक 31 दिसम्बर,2020

विषयः- भूमि खसरा न0 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सेवा में,

1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
2-मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।
3-सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण देहरादून।
4- उप जिलाधिकारी देहरादून।
5-अधिशासीअभियन्ता लो0नि0वि0 देहरादून।
6-जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून।

ST-SSP-01 (NOC)/21

महोदय,

उपरोक्त विषयक इंडियन ऑयल कॉरपॅरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई- 400051 के पत्र संख्या- DDN DO/NRO/245 दिनांक 30-12-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भूमि खसरा न0 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपददेहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किय गया है। उक्त के कम में पत्र के साथ मानचित्र की प्रति संलग्न कर इस आशय के प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर जॉच आख्या/अनापत्ति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ठ करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

COMW-01 (NOC)/21
2/1/2021

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी(प्र0)
देहरादून।

C.O. नेहरू कालोनी
कृ० जॉच कर आख्या उपलब्ध करायें।
SSP DDN 1/1/21

~~कार्यालय जिलाधिकारीदेहरादून।~~

SHO NCY
कृ० जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये।
6 NCY

I/C Bypass
कृ० जॉच कर आख्या
SHO NCY 01

R
11/1/2021

रिपोर्ट थाना नेहरू कालोनी जनपद देहरादून

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी महोदय,
जनपद देहरादून।

विषयः-पत्रांक-co-ncy-01 (noc)/21।

महोदय,

सादर अवगत करना है कि आवेदन पत्रांक-co-ncy-01 (noc)/21 दिनांक 2/1/2021 भूमि खसरा न0 1081ka ग्राम मोथरोवाला थाना नेहरू कालोनी देहरादून में स्थिति आवेदिका मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज निवासी दर्शन कुंज न्यू कैनाल रोड मोथरोवाला देहरादून रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है जिसकी जांच मुझ उ0नि0 द्वारा की गयी। अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या है। अतः जांच आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न- यथोपरि।

पुलिस चौकी बाईपास
11/01/2021

उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह गुसांई
चौकी प्रभारी बाईपास
थाना नेहरू कालोनी
जनपद देहरादून।

श्रीमान जा,
संस्तुति सहित अग्रसारित है।

प्रभारी निरीक्षक
थाना नेहरू कालोनी,
जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

1	आवेदक का नाम	मधु काम्बोज
2	पिता/पति का नाम	रविन्द्र कुमार काम्बोज
3	आवेदक का पूरा पता	दर्शन कुंज, न्यू कैनाल रोड जोगीवाला, देहरादून
4	जिस प्रयोजन हेतु आवेदन किया है उसका विवरण	रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु
5	भूमि /स्थल के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो उसका विवरण	कोई विवाद नही है
6	स्थल का नाम एवं पूर्ण विवरण जहां पर प्रस्तावित लगाया जाना है	भूमि खसरा नं0 1081 KA, ग्राम-जोगीवाला, तहसील देहरादून, देहरादून
7	प्रस्तावित पैट्रोल पम्प पर अग्निसमन वाहन सुगमता से पहुंच सकता है अथवा नही	अग्निशमन वाहन सुगमता से पहुँच सकता है
8	प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के अन्दर पार्किंग व्यवस्था है या नही एक साथ कितने वाहन चाह पहिया /दो पहिया पार्क हो सकते है	06 बड़े वाहन, 15 छोटे दोपहिया वाहन पार्क हो सकते है।
9	प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकि पर किये जाने का प्रावधान रखा गया है अथवा नही	प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकि पर किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है
10	प्रस्तावित स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है अथवा नही	प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है।
11	प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की विधुत लाईन तो नही गुजरती है	प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की विद्युत लाईन नही गुजरती है
12	प्रस्तावित स्थिल पर प्रैट्लो पम्प खोलने के अन्तर्गत पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में आपत्ति के सम्बन्ध में अनापत्ति के सम्बन्ध में जांचकर्ता की स्पष्ट टिप्पणी	प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प खोले जाने मे कोई आपत्ति नही है।

पुलिस चौकी बाईपास

11/01/2021

SI [illegible] सिंह गुसाईं
चौकी - बाईपास
थाना - नेहरू कालोनी
देहरादून।

श्रीमान जी,
संस्तुति सहित अग्रसारित है।

प्रभारी निरीक्षक
थाना - नेहरू कालोनी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
11/01/2021

Phone :– 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक 127 /1 सी०बी० दिनांक 08 / 01 / 2021.

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषय – रोड साइट लैन्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत धर्मपुर चौक से मोथरोवाला–दूधली–डोईवाला, मोटर मार्ग के कि0मी0–4.200 में इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून में खाता संख्या–01106 के खसरा नं0–1081 क क्षे0 0.0710 हे0 में न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ – जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक–268/परि0–2020–21, दिनांक 31.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रकरण के संबंध में दिनांक–05.01.2021 को स्थल निरीक्षण उपरान्त आख्या निम्नप्रकार है:–

1– मार्ग एवं लो0नि0वि0 भूमि का सत्यापन किया गया। प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मौजा मोथरोवाला तहसील व जिला–देहरादून की भूमि खाता संख्या– 01106 खसरा नं0–1081 क क्षेत्रफल–0.0710 हे0 भू स्वामी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्शन लाल ने श्रीमती मधु काम्बोज, पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज, निवासी दर्शन कुंज, न्यू कैनाल रोड, मोथरोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम उपहार पत्र (दान नामा) के माध्यम से दान (उपहार) की गई है। इस भूमि पर न्यू पेट्रोलियम क्लास–ए0/बी0 रिटेल ऑउटलेट, धर्मपुर मोथरोवाला, दूधली, डोईवाला, मार्ग के कि0मी0 4.200 में मार्ग के बाईं ओर मार्ग की मध्य रेखा से 18 मीटर की दूरी के पश्चात् लो0नि0वि0 की सडक से हटकर निर्माण (स्थापित) किया जाना प्रस्तावित है।

2– वर्तमान में मार्ग के चौडीकरण विस्तारीकरण का कोई कार्य गतिमान नही हैं, परन्तु भविष्य में मार्ग के अधिक चौड़ीकरण/विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हुई तो भू स्वामी को नियमानुसार विभाग को भूमि उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– मार्ग की मध्य रेखा से 18.00 मीटर की दूरी के पश्चात् सरकारी भूमि/लो0नि0वि0 की सडक से हटकर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास–ए/बी रिटेल आउटलेट की स्थापना निम्न प्रतिबन्धों के साथ करने से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नही होगी।

प्रतिबन्ध:–

1– विभागीय/सरकारी भूमि पर वर्तमान मे कोई स्थाई/अस्थाई अतिकमण नहीं है, भविष्य मे भी विभागीय/सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई अतिकमण न किया जाय।

2– पहुच मार्ग एव पुलिया निर्माण हेतु आवेदक को विभाग से अलग से अनुमति लेनी होगी।

3– जल–मल की व्यवस्था आवेदक अपनी भूमि पर अथवा निर्धारित सीवरेज से ही करेंगें।

4– निर्माण सम्बन्धी सामाग्री विभागीय भूमि/मार्ग की भूमि पर एकत्र न की जाय।

5– प्रस्तावित मानचित्र मे प्रदर्शित सैट बैंक रोड वाइडिंग एवं पार्किंग हेतु छोडी गयी भूमि में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जाय।

6– भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं निर्माण की पुष्टि राजस्व विभाग/नगर निगम/एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा की जायेगी।

7– दान नामा (उपहार पत्र) की गई भूमि का दाखिल खारिज उपहारग्रहिता श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज के नाम न्यू पेट्रोलियम आउटलेट स्थापना से पूर्व खतौनी मे दर्ज अभिलेख करना होगा।

8– अग्निशमन आदि प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से आवेदक स्वयं प्राप्त करेंगे।

9– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण भारत पैट्रोलियम कोरपोरेशन लि0 के प्राधिकृत इजीनियर की सलाह एव विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया जाये।

10– देहरादून क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है अतः प्रस्तावित यू पेट्रोलियम क्लास–ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु की बुनियाद एवं उपरी संरचना का डिजाईन एवं निर्माण मिट्टी परीक्षण उपरान्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह एवं विशेषज्ञ की देख रेख में किया जाय।

11– बफर स्ट्रिप/होल्डिंग्स बनाने/लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

12– मार्ग की नाली के पानी निकासी में कोई बाधा उत्पन्न न की जाये।

13– उक्त प्रस्तावित कार्य से मार्ग के यातायात में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

14– उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों मे किसी का भी उल्लंघन होने पर उक्त अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धो के साथ धर्मपुर चौक से मोथरोवाला–दूधली–डोईवाला, मोटर मार्ग के कि0मी0–4.200 में मार्ग के बायी ओर मार्ग की मध्य रेखा से 18.00 मीटर की दूरी के पश्चात् लो0नि0वि0 की सडक/सरकारी भूमि से हटकर इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास–ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने पर विभाग को कोई आपत्ति नही है।

संलग्न:– स्थल निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(इं0 राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।

दिनांक / / 2021.

पत्रांक /1 सी0बी0

प्रतिलिपि– श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता IV, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके पत्र संख्या–391/01सी0 दिनांक–07.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

संख्या 05 /पी0ए0–2021 दिनांक 4 ,दिसम्बर, 2021

विषयः– **खसरा नं0–1081क ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून में प्रस्तावित न्यू ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 268/परि0–2019 दिनांक 31.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार सदर से करायी गयी। नायब तहसीलदार सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 01.01.2021 में उल्लेख किया है कि ग्राम मोथरोवाला के खाता संख्या 1106 के खसरा नं0 1081क रकबा 0.0710है0 भूमि पर श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्शन लाल का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भू–खण्ड पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। जिसके पूरब में सड़क, पश्चिम में मुख्य सड़क मोथरोवाला, उत्तर में भूमि अंशुल काम्बोज तथा दक्षिण में भूमि श्री गैरोला स्थित है। उक्त भूमि स्थल पर रिक्त है तथा स्थल पर कोई पेड़ इत्यादि नहीं है।। स्वामित्व के संबंध में नकल–खतौनी, ले–आउट प्लान, नजरी–नक्शा, स्थलीय फोटोग्राफ एवं रजिस्ट्री की प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार सदर द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति/अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रस्तुत की गयी है कि सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में भू–स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे। नायब तहसीलदार सदर की आख्या मूल में संलग्न है।

अतः रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आख्या/अनापत्ति महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

4/01/2021

(गोपाल राम बिनवाल)
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
देहरादून, सदर।

पत्र संख्या 657/जॉच–2020–21 दिनांक 01–01–2021

विषयः– भूमि खसरा नं0 1081क ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून में प्रस्तावित न्यू ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या 268/परि0–2020–21 दिनांक 31 दिसम्बर 2020 के साथ संलग्न इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड मुम्बई –40051 के पत्र संख्या DDN DO/NRO 245 दिनांक 30–12–2020 पर आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांक 31–12–2020 के सम्बन्ध में उक्त खसरा नंम्बर पर वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु स्थलीय जॉच आख्या/अनापत्ति निम्न प्रकार है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ग्राम मोथरोवाला के खाता सं0 1106 के खसरा नं0 1081क रकबा 0.0710है0 भूमि पर श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्शन लाल का नाम संकमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भू–खण्ड पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। जिसके पूरब में सडक, पश्चिम में मुख्य सडक मोथरोवाला, उत्तर में भूमि अंशुल काम्बोज, दक्षिण में भूमि श्री गैरोला स्थित हैं। स्थल पर भूमि खाली है, कोई पेड इत्यादि नही हैं। स्वामित्व के सम्बन्ध में नकल खतौनी, लेआउट प्लान, नजरी नक्शा व स्थल का फोटोग्राफ की प्रतिलिपि संलग्न हैं। इस प्रकार अनापत्ति दिये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अन्य किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में स्वामी/आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः जांच आख्या उपरोक्तानुसार अनापत्ति दिये जाने हेतु सेवा में सादर प्रेषित हैं।

सलंग्नकः– यथोपरि

01/01/021

(जसपाल सिंह राणा)
नायब तहसीलदार
सदर, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या– 260/परि0–2020–21 दिनांक 31 दिसम्बर,2020

विषयः– भूमि खसरा न0 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सेवा में,

1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
2–मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।
3–सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण देहरादून।
4– उप जिलाधिकारी देहरादून।
5–अधिशासीअभियन्ता लो0नि0वि0 देहरादून।
6–जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय जी–9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई– 400051 के पत्र संख्या– DDN DO/NRO/245 दिनांक 30–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भूमि खसरा न0 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपददेहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किय गया है। उक्त के क्रम में पत्र के साथ मानचित्र की प्रति संलग्न कर इस आशय के प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर जॉच आख्या/अनापत्ति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ठ करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

BH
ना० तह० सदर
जॉच कर आख्या दें।
SDM (S)
31/12/20
उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी(प्र0)
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारीदेहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या– 268/परि0–2020–21

दिनांक 20 मार्च 2021

विषयः– भूमि खसरा नं0 1081क ग्राम मोथरोवाला तहसील व जनपद देहरादून में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

डीविजनल रिटेल आउटलेट मेनेजर,
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,
देहरादून।

उपरोक्त विष्यक आपके कार्यालय के पत्र संख्या DNDO/NRO/245 दिनांक 30.12.2020 का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा भूमि खाता संख्या 1106 के भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून पर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 268/परि0-2020-21 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा सम्बन्धित विभागो से आख्या प्राप्त की गई, उक्त पत्र के क्रम में सम्बन्धित विभगो से प्राप्त विभागवार आख्या निम्नवत है।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अपने पत्रांक- एस0टी0-एस0एस0पी0-01(एन0ओ0सी0)/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 में उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी से जॉच कराई गई, क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी की आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त सम्बन्ध मे थाना नेहरू कालोनी से जाॅच करायी गयी तो थानाध्यक्ष की आख्यानुसार आवेदिका का नाम श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज निवासी दर्शन कुंड न्यू कैनाल रोड़ मोथरोवाला देहरादून के निवासी है। उक्त भूमि स्थल के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई विवाद नही है। आस-पास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित होने की सम्भावना नही है। प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक पर किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगण से उपर्युक्त है। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की वियुत लाईन नही गुजरती है।

अतः प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प खोले जाने मे कोई आपति नहीं है।

2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून ने अपने पत्र न0-4/ सी0एफ0ओ0/पैट्रोल पम्प-D-PE-05-2020 दिनांक 12 जनवरी 2021 में उल्लेख किया गया है कि प्रष्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर की संस्तुति आख्या दिनांक 08.01.2021 को प्रेशित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई उच्च क्षमता की विधुत लाईन नही गुजर रही है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल तक अग्निषमन का वाहन आसानी से पहुंच सकता है।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में निम्नाकित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ का होना आवश्यक हैः-

1. प्रतावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प केक प्रवेश एवं निकास मार्ग को छोड़कर तीनों ओर से कम से

DISTT. MAGISTRATE * DEHRADUN * जिलाधिकारी देहरादून

कम 3.50 मीटर ऊंची चाहर दीवारी की जायेगी। अग्निशमन अपकरणों की देखरेख/संचालन हेतु प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी/गार्ड रखना अवशयक है।

2.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में बनने वाले कक्ष की टैरिस में 05 हजार लीटर पानी की क्षमता के टैंक का प्राविधान किया जायेगा, उक्त टैरेस टैंक से सम्बध्द 30 मी0 लम्बाई की होज रील का प्राविधान किया जाना आवष्यक है। होज रील को प्रेशर युक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए टैरेस टैंक के पास उचित क्षमता के फायर पम्प का प्राविधान किया जाना आवष्यक होगा।

3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के समीप लाल रंग टिन षेड का निर्माण किया जायेगा जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में "आग (फायर)" लिखा जायेगा।

4. उक्त टिन षेड में चार अदद मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्यूषर प्रत्येक 09 ली0 क्षमता के तथा दों अदद ए0बी0सी0 एक्सटिंग्यूषर प्रत्येक 09 किग्रा0 क्षमता के रखें जायेंगे, साथ ही 088 अदद सेण्ड में टंगी रहेगी।

5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के मैन विद्युत पैनल बोर्ड के पास 4.5 किग्रा0 क्षमता का एक सी0ओ0ट्0 फायर एक्सटिंग्यूशर रखा जाना आवश्यक है।

6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में छोडे गये सेट बैंक तथा बफर स्ट्रिप से फयूल प्वांइट की दूरी तक कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के पृश्ट व दोनो पाष्र्व में न्यूनतम 3.00-3.00 मी0 सेट बैक आवष्यक होंगे।

8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में अग्नि सुरक्षा नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रविधान सुनिश्चित करना होगा तथा मुख्य नियन्त्रक, विस्फोटक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. पेट्रोलियम रूल्स 1976 (यथासंशोधित) के प्रस्तर 30 के अनुसार ड्रेजेस, प्रस्तर 127 के अनुसार आर्थिंग आफ टैंक किसी सक्षम अभियन्ता की देखरेख में ही करवाया जायेगा।

10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में डीजल/पेट्रोल भरने का कार्य सूर्यास्त से पूर्व तथा सूर्योदय के बाद ही किया जायेगा।

11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के पास फायर स्टेषन का टेलीफोन नं0-01360-222261, 101 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 112 एवं आपातकालीन एम्बूलेंस सेवा का टेलीफोन नं0 108 स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की विद्युत व्यवस्था फलेम प्रूफ एवं एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।

DISTT. MAGISTRATE * DEHRADUN * कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून

13. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के बाहर धूम्रपान निशेध का वोर्ड लगाया जाना आवष्यक है।

14. O.I.S.D द्वारा दिये गये निर्देषों का पालन करना सुनिष्चित करेंगें। तथा अन्य प्रावधान जो भारतीय पैट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हों, लागू होंगें।

अतः उक्त के अनुसार 1 से 14 बिन्दुओ एवं वर्णित अग्नि सुरक्षा बिन्दुओ तथा नेषनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-3 एवं पार्ट-4 में वर्णित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं, पेट्रोलियम रूल्स 2002, भारतीय विद्युत नियमावली के मानको एवं उत्तराखण्ड षासनप के संषोधित आदेश सं0 837/V-2-2016-127(आ0)/15-टी0सी0 दिनांक 03 जून 2016 एवं शासनादेश सं0 998/ V-2-2020-56(आ0)/2016 दिनांक 15 सितम्बर 2020, के मानको को पूर्ण किये जाने तथा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के पास की गयी प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन विभाग से काराकर व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण (Pre-Operational) पत्र लिये जाने की षर्त पर प्रष्नगत स्थल पर पैट्रोल पम्प निर्माण हेतु प्रारम्भिक अनापति प्रमाण पत्र (Pre-Establishment) निर्गत करने में इस कार्यालय को कोई आपति नहीं है। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा।

3- सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ने अपने पत्र सं0 2474/मानचित्र सेल/ 2020-21 दिनांक 12 मार्च 2021 में उल्लेख किया गया है कि संलग्न मानचित्र में अंकित की-प्लान में दी गयी दूरी एवं लोकेशन इनजोनल प्लान व गूगल ईमेज/ कॉर्डीनेटस से मिलान करने पर स्थल मोथरावाला रोड (पश्चिम दिशा) दिशा से लगा हुआ है जिसकी महायोजना में चै0. 30मी0 व पूरब दिषा में 12मी0 केनाल रोड ततपष्चात भू-उपयोग आवासीय मे प्रदर्षित है यदि भवन उप विधियो के अनुसार पेट्रोल पम्प के सभी मानक पूर्ण होते है तो आवासीय भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प की अनुमति प्रधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। आवेदक द्वारा मानचित्र संख्या -सी0-0342/20-21 भी आवेदित किया गया है।

आवेदक को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट निर्माण से पूर्व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के विनियमानुसार प्रधिकारण से मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4- उपजिलाधिकारी देहरादून (सदर) ने अपने पत्र संख्या 05/पी0ए0-2021 दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार सदर से करायी गयी ।नायब तहसीलदार सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 01.01.2021 में उल्लेख किया है कि ग्राम ग्राम मोथरोवाला के खाता संख्या 1106 के खसरा संख्या 0.0710है0 भूमि पर श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्शन लाल का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भू-खण्ड पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। जिसके पूरब में सड़क, पष्चिम में मुख्य सड़क मोथरोवाला, उत्तर में भूमि अंपुल काम्बोज तथा दक्षिण में भूमि श्री गैरोला स्थित है। उक्त भूमि स्थल पर रिक्त है तथा स्थल पर कोई पेड़ इत्यादि नहीं है। स्वामित्व के संलग्न है। नायब तहसीलदार सदर द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति/अनापत्ति इस षर्त के साथ प्रस्तुत की गयी है कि सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून DEHRADUN.

3- **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून** के कार्यालय पत्र सं0- 127/1 सी0बी0 दिनांक 08.01.2021 में उल्लेख किया गया है कि रोड साइट लैन्ड कन्ट्रोल एक्ट क अन्तगत धर्मपुर चैक से मोथरोवाला-दूधली-डोईवाला, मोटर मार्ग के कि0मी0-4.200 में इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून मे खाता संख्या-01106 के खसरा नं0 1081क क्षे0 0.0710 है0 में न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 आउटलेट स्थापना हेतु आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2021 को स्थल निरीखण उपरान्त आख्या निम्नप्रकार हैः-

1- मार्ग एवं लो0नि0वि0 भूमि सत्यापन किया गया। प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मौजा मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून की भूमि खाता संख्या 01106 खसरा नं0 0181 के क्षत्रफल 0.0710है0 भू स्वामी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्षन लाल ने श्रीमती मधु काम्बोज, पत्नी श्री रविन्द्र कुमार निवासी दर्शन कुंज न्यू कैनाल रोड, मोथरोवाला, देहरादून उत्तराखण्ड के नाम उपहार पत्र (दान नामा) के माध्यम से दान (उपहार) की गइ है। इस भूमि पर न्यू पेट्रोलियम क्लास-ए0/बी0 रिटेल आउटलेट धर्मपुर मोथरोवाला दूधली डोईवाला मार्ग के कि0मी0 4.200 में मार्ग के बाई ओर मार्ग की मध्य रेखा से 18 मीटर की दूरी के पष्चांत लो0नि0वि0 की सड़क से हटकर निर्माण (स्थापित) किया जाना प्रस्तावित है।

2- वर्तमान में मार्ग के चैडीकरण विस्तारीकरण का कोई कार्य गतिमान नहीं है। परन्तु भविष्य में मार्ग के अधिक चैडीकरण/विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवष्यकता हुई तो भू स्वामी को नियमानुसार विभाग को भूमि उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3- मार्ग की मध्य रेखा से 18.00 मीटर की दूरी के पष्यात सरकारी भूमि/लो0नि0वि0 की सड़क से हटकर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास-ए/बी रिटेल उाउटलेट की स्थापना निम्न प्रतिबन्धों के साथ करने से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

प्रतिबन्धः-

1- विभागीय/सरकारी भूमि पर वर्तमान में कोई स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण नहीं है, भविश्य में भी विभागीय/सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण न किया जाय।

2- पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण हेतु आवेदक को विभाग से अलग से अनुमति लेनी होगी।

3- जल-मल की व्यवस्था आवेदक अपनी भूमि पर अथवा निर्धारित सीवरेज से ही करेंगे।

4- निर्माण सम्वन्धी सामाग्री विभागीय भूमि/मार्ग की भूमि पर एकत्र न की जाय।

5- प्रस्तावित मानचित्र में प्रदर्षित सैट बैंक रोड बाइडिंग एवं पार्किग हेतु छोडी गयी भूमि में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जाय।

6- भू-स्वामित्व सम्वन्धी अभिलेख एवं निर्माण की पुश्टि राजस्व विभाग/नगर निगम/एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा की जायेगी।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून

7- दान नामा (उपहार पत्र) की गई भूमि का दाखिल खारिज उपहारग्रहिता श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज के नाम न्यू पेट्रोलियम आउटलेट स्थापना से पूर्व खतौनी में दर्ज अभिलेख करना होगा।

8- अग्निशमन आदि प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से आवेदक स्वंय प्राप्त करेंगे।

9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण भारत पैट्रोलियम कोरपोरेषन लि0 के प्राधिकृत इंजीनियर की सलाह एवं विषेशज्ञ की देखरेख में ही किया जाये।

10- देहरादून क्षेत्र भूकम्प की दृश्टि से अत्यन्त संवेदनशील है अतः प्रस्तावित यू पेट्रोलियम क्लास-ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु की बुनियाद एवं उपरी संरचना का डिजाईन एवं निर्माण मिटटी परीक्षण उपरान्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह एवं विषेशज्ञ की देख रेख में किया जाय।

11- बफर स्ट्रिप/होल्डिंग्स बनाने/लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

12- मार्ग की नाली के पानी निकासी में कोई बाधा उत्पन्न न की जायें।

13- उक्त प्रस्तावित कार्य से मार्ग के यातायात में कोई भी बाधा उत्तपन्न नही होनी चाहिए।

14- उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों में किसी का भी उल्लंघन होने पर उक्त अन्नापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों के साथ धर्मपुर चैक से मोथरोवाला-दूधली-डोईवाला, मोटर मार्ग के कि0मी0-4.200 में मार्ग के बायी ओर मार्ग की मध्य रेखा से 18.00 मीटर की दूरी के पष्चात लो0नि0वि0 की सड़क/सरकारी भूमि से हटकर इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास-ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

6- जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के पत्र सं0-1334/जि0पू0अ0-प्रेमो0/2020-21 दिनांक 06.01.2021 में उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या प्रेशित करने के निर्देश दिये गयें थें। उक्त के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक (मुख्य), द्वारा जॉच कराई गई। पूर्ति निरीक्षक (मुख्य) की जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेशित है कि उक्त जॉच आख्या में कोई भी आपत्ति नही दर्षायी गई, जॉच आख्या संतोशजनक दर्शायी गई है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि पैट्रोलियम रूल 2002 के चैप्टर-VII के लाईसेंस प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त पैट्रोलियम रूल 2002, चैप्टर-VII के सक्षन 144 NOC या अनापत्ति से सम्बंधित है। महोदय सेक्षन रूल 144(1) यह स्पष्ट करता है लाईसेंसिंग प्राधिकारी चीफ कन्ट्रोलर या कन्ट्रोलर होगा। कोई आवेदक नये लाईसेंस हेतु अपने स्थलीय प्लान की दों प्रतियों के साथ जिला प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेगा और जिला प्राधिकारी को यदि कोई आपति नही होती है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। पूर्ति निरीक्षक (मुख्य) की आख्या निम्नानुसार है।

1. प्रश्नगत भूमि दुधली से मोथरोवाला मार्ग पर दायी ओर स्थित है।
2. प्रश्नगत भूमि श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज के नाम दर्ज है।
3. उक्त पेट्रोल पम्प हेतु 22 मी0 31 मी0 भूमि प्रस्तावित है।
4. प्रश्नगत भूमि पर कोई पेड़ नही है।
5. प्रश्नगत सम्पति की चोहदी निम्नानुसार है।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून DEHRADUN

पूरब- कैनाल रोड।
पश्चिम- मोथरोवाला मुख्य सड़क।
उत्तर- सम्पति श्री अंषुल काम्बोज।
दक्षिण- सम्पति श्री गैरोला जी।

6. प्रश्नगत भूमि जिसके ऊपर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किया जाना है कि ऊपर से विद्युत की हाईटेंशन तार नही जा रही है।

7. प्रश्नगत सम्पति के एक भाग में टिनसेट बना है, जिसे सम्पति स्वामी द्वारा हटाया जा रहा है।

उपरोक्त विभागो /आख्यायओ के अधीन भूमि खाता संख्या 1106 के भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून पर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि भवन निर्माण करने से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त वर्णित 06 विभागो से प्राप्त अनापति में अंकित शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी एवं प्रश्नगत भूमि का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय आवेदक की होगी।

ह0/-
जिलाधिकारी, देहरादून।
19/03/2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
02- सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
03- उप जिलाधिकारी देहरादून।
04- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।
05- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
06- जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून।

20/3/21
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून DEHRA DUN.

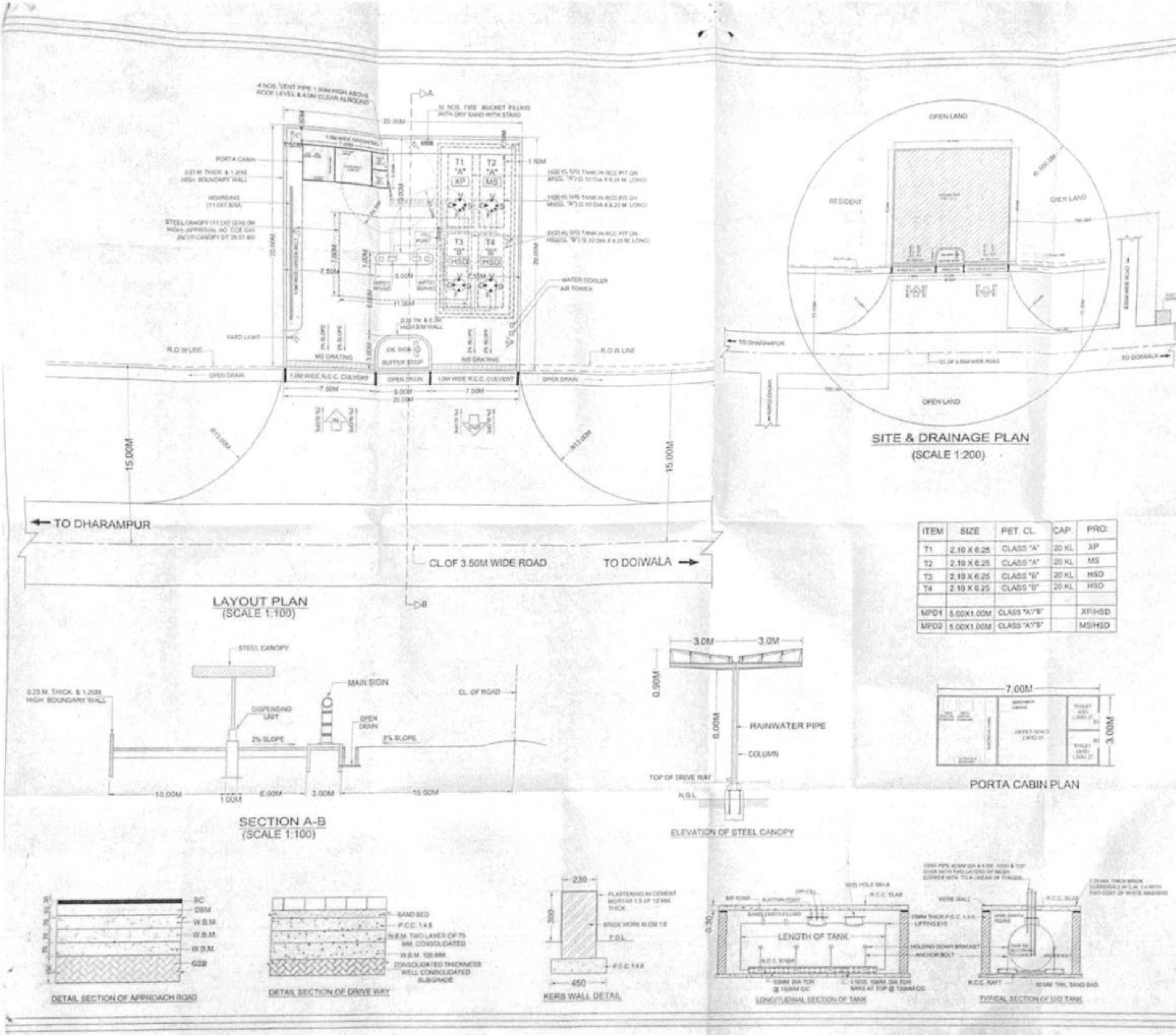

ITEM	SIZE	PET. CL.	CAP.	PRO.
T1	2.10 X 6.25	CLASS "A"	20 KL	XP
T2	2.10 X 6.25	CLASS "A"	20 KL	MS
T3	2.10 X 6.25	CLASS "B"	20 KL	HSD
T4	2.10 X 6.25	CLASS "B"	20 KL	HSD
MPD1	5.00X1.00M	CLASS "A"/"B"		XP/HSD
MPD2	5.00X1.00M	CLASS "A"/"B"		MS/HSD

NOTE:-

1. V= VENT PIPES 4M. HIGH AND 4.0M. CLEAR END CORNERED WITH TWO LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR
2. F= FILL POINTS FITTED WITH AMLOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY
3. D= DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS:2148
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OF SURFACE DRAIN WITHIN 6M. OF THE U/G
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FEBRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S. 10987: 1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO G-40(3C)/MISC. 98 DATED 24.02.98.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B. SAND BUCKET 10 NOS. AS PER EXPLOSIVES RULES.
12. F.E. FIRE EXTINGUISHER 10 NOS. AS PER EXPLOSIVES RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDROLIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED THE TEST SHOULD BE MENTIONED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36 KG/SQ. C.M. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3250 LONG.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATES OF TANKS 20KL. SHELL 6 MM. END 8MM.
16. TANKS CONFORM TO 124, 125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE 2002.
17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III (MSI) DATED: 26-11-1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF MCALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC 1980 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
20. EV= EXTENDED VENT POINT E- EXTENDED FILL POINTS
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRIC LINE SHOULD PASS OVER THE PROPOSED PREMISES.

DATE	BRIEF RECORD	INITIAL
24-12-2020		

REVISIONS

INDIAN OIL CORPORATION LTD.
(MARKETING DIVISION)
(NORTHERN REGION)

DEHRADUN DIVISIONAL OFFICE

LAYOUT & SITE PLAN OF PROPOSED RETAIL OUTLET AT BETWEEN KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHOROWALA ROAD, AT KHASRA NO. 1081 KA MIN, VILLAGE -MOTHROWALA, TEHSIL-DEHRADUN, DISTT.-DEHRADUN (U. K.)

KHASRA NO.	1081 KA MIN
VILLAGE/MAUZA	MOTHROWALA
TEHSIL	DEHRADUN
ROAD	MOTHOROWALA ROAD
DISTRICT	DEHRADUN
STATE	UTTARAKHAND
POLICE STATION	DEHRADUN
RAILWAY STATION	DEHRADUN
PIN CODE	248001
LIC NO. -	
DRAWING NO.	
SCALE:- AS SHOWN	

CHECKED BY | RECOMMENDED BY

APP. BY

PREPARED BY

TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

पंत्राकः 1969 / लोक सूचना / 2022–23 दिनांकः 18/8/ 2022

सेवामें ,

श्री पंकज नेगी,एडवोकेट,
कलक्ट्रैट कोर्ट कम्पाउण्ड,
(नियर–शहीद स्मारक)
पो0 ओ0 कचहरी,देहरादून।

विषयः– **सूचना के आवेदन संख्या–1045 दिनांक 12.08.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र कमांक–1045 दिनांक 12–08–2022 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें आप द्वारा मौजा मोथरावाला देहरादून के भूखण्ड खसरा नम्बर 1081ख में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है। तत्कम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में संकलित अभिलेखों के अनुसार मौजा मोथरावाला देहरादून के भूखण्ड खसरा नम्बर 1081ख में श्री जय कुमार पुत्र श्री दर्शन लाल द्वारा प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या मेप/पी/आर/0250/13–14 दिनॉक 27–07–2013 को प्रस्तुत किया गया था,जो कि कतिपय मानचित्र आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के फलस्वरूप दिनॉक 20–03–2014 को ऑटो निरस्त हो गया था, जिसकी सूचना 02 पृष्टों में निहित है।

उक्त सूचना आपको कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर 02पृष्टों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तद्नुसार आपके आवेदन पत्र का निस्तारण किया जाता है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

(अजय मलिक)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक अभियन्ता ,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अपीलीय अधिकारी का नाम / पता–

श्री रजा अब्बास,
संयुक्त सचिव / विभागीय अपीलीय अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर रोड नियर ट्रान्सपोर्ट नगर,देहरादून।

Report

Application Number : MAP/P/R/0250/13-14 **Applied On** : 27/07/2013 10:31 AM

1) **From :** Mr. Deepak Sharma (Cashier) **Dated :** 27/07/2013 10:31 AM

Department : Accounts

Remarks : Received submission fees

Ref. Files :

---

2) **From :** Mr. Chandra Mohan Uniyal (Blue Printer) **Dated :** 27/07/2013 01:34 PM

Department : Planning

Remarks :all documents are attached and form is filled

Ref. Files :

---

3) **From :** Mr. Bachi Singh Chauhan (Drafts Man) **Dated :** 27/07/2013 06:47 PM

Department : Planning

Remarks :the site at mothrowala road. the land use is after road R/W residential low density [R-3] as per key plan and location master plan 2025.width of mothrowala road is 30 mt. at master plan.

Ref. Files :

---

4) **From :** Mr Nazir Ahamad (Lekhpal) **Dated :** 30/07/2013 07:22 PM

Department : Land Cell

Remarks : According to ownership documents as sale deed and khatoni submitted by applicant through the online process , ownership of Mr Jai Kumar s /o Mr Darshan Lal is proved on khasra no 1081 kha (old khasra no. 291 & 292) Area 0.0700 hect. in Mauza Mothorowala pargana parwadun district Dehradun

सत्यापित प्रति

Ref. Files :

लोक सूचना अधिकारी
म0 दे0 वि0 प्रा0
देहरादून।

---

5) **From :** Mr. Sunil Kumar Gupta (Junior Engr.) **Dated :** 01/08/2013 10:29 AM

Department : Map

Remarks :1- the existing building is road widening area so existing building pl demolish the existing

building road widening. area .

Ref. Files :

---

6) **From :** Mr. Anand Ram (Assistant Engr.) **Dated :** 01/08/2013 11:36 AM

Department : Case

Remarks :1- the existing building is in road widening area . pl first demolish the existing building in road widening area then put up proposed map.

Ref. Files : objectionletter_R-107113-14_English.pdf, objectionletter_R-107113-14_Hindi.pdf

---

7) **From :** Mr. Jai Kumar (Applicant) **Dated :** 05/09/2013 09:40 PM

Remarks : Map Application Re-submitted

Ref. Files :

सत्यापित प्रति

---

8) **From :** Mr. Anand Ram (Assistant Engr.) **Dated :** 06/09/2013 11:26 AM

Department : Case

Remarks :objection informed previously not removed.

लोक सूचना अधिकारी
म0 दे0 वि0 प्रा0
देहरादून।

Ref. Files : objectionletter_R-107113-14_English.pdf, objectionletter_R-107113-14_Hindi.pdf

---

9) **From :** Mr. Anand Ram (Assistant Engr.) **Dated :** 20/03/2014 12:00 AM

Department : Case

Remarks : Auto Rejection due to Non Clearance of Objection for more than 10 days.

Ref. Files : rejectionletter_R-107113-14_English.pdf, rejectionletter_R-107113-14_Hindi.pdf

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

पंत्राक 1986 /लोक सूचना/2022–23 दिनांक 20/8/2022

सेवा में,

श्री सतेन्द्र रावत
सेक्टर –1 उत्तराचंल इन्कलेव नवादा
देहरादून ।

विषयः-- आवेदन संख्या 01067 दिनांक 18–8–2022 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 01067 दिनांक 18–8–2022 के द्वारा खसरा नम्बर 1081 ख में सियरा इन्टर नैशनल स्कूल के नाम से कोई मानचित्र स्वीकृत है तो स्वी0मानचित्र की प्रति चाही गयी है।

उपरौक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि कम्पूटर अनुभाग की आख्या दिनांक 20–8–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 1984 से वर्ष 2019 तक योजित वादों में से वाद संख्या सी–0575/एस–3/2013 श्री अंशल काम्बोज के नाम से आवासीय में शमन होना पाया गया है । उक्त स्थल का भू–उपयोग आवासीय है । आवेदक द्वारा दिये गये नाम सियरा इन्टर नैशनल स्कूल के नाम मानचित्र कोई स्वीकृत होना नही पाया गया है।

कृपया सूचित हो ।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ठ नही है तो आप एक माह के अन्दर प्रथम अपील कर सकते है ।

(अजय मलिक)
लोक सूचना अधिकारी/~~अधिशासी अभियन्ता~~
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पद नाम

श्री रजा अब्बास
संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

21-2-14

देहरादून विकास प्रा०

आख्या/टिप्पणी

Sec

21-2-14 — कृपया पत्रावली दिनांक 07-3-14 को प्रस्तुत प्रस्ताव करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी उपस्थित। शमन मानचित्र ... लगाई गई।

(हस्ताक्षर)

Sec

07-3-14 — आज प्रस्तुत। पुकार लगाई गई। विपक्षी उपस्थित। शमन मानचित्र प्रस्तुत। JE/AE स्थल निरीक्षण कर शमन पर आख्या दें।

(हस्ताक्षर)

Sec

J.E.

आख्या प्रश्नगत स्थल खसरा नम्बर 1021 मौजा मोथरोंवाला में स्थित है। आवेदक द्वारा भी नक्शा में बंजारा वाला रोड व मोथरोंवाला रोड प्रदर्शित है। मोथरोंवाला रोड पर पश्चिम दिशा में स्थल के पहुँच मार्ग तक की दूरी 5 मीटर व इस सड़क बढ़ी को जाने वाली रोड से बंजारा रोड पर ... की दूरी 1280 मीटर अंकित की गई है भी नक्शा में अंकित स्थल तक की दूरी 1280 मीटर अंकित की गई है भी नक्शा में अंकित स्थल का भू-उपयोग ... भी का महायोजना मानचित्र पर नापने पर स्थल का भू-उपयोग आवासीय में निर्धारित है।

रोड के मध्य से 6-0 मी० मार्ग विस्तार उपरान्त

JE

10-3-14

आवेदक द्वारा प्रस्तुत पट्टा विलेख (बैनामा) व आवेदन व नक्शा का ध्यान से अवलोकन किया खसरा नम्बर 1021 (क्षेत्र 220.00 वर्ग मी० स्थित ...) का ... बैनामा ... श्री अनुज कुमार श्री ... कुमार ... स्वामित्व ... पत्रावली

मानचित्र

सहायक अभियन्ता

एम० डी० डी० ए०

देहरादून

Cut Here

Mussoorie Dehradun Development Authority

APPLICANT COPY **Date :** 18/08/2022

Reference No	MDDA/RTI/01067/22-23		**Receipt No**	1920/53
Name	Mr.SATENDAR RAWAT.			
	Submission charge	10.00	Mode of Payment	Cash
			DD Number	
			DD Date	
			Drawee Bank	

Office of the Mussoorie Dehradun Development Authority Received Rs. ... Cashier ... Date ...

AR 18/08/2022

Total (Rs) **10.00**

Amount in Words (Rupees. Ten only)

Stamp here

(Signature)

SIERRA
INTERNATIONAL SCHOOL

Sierra Senior International School, Mothrowala Dehradun is currently running on online platform due to COVID pandemic. In near future, school will be shifted 2 Kms away from the current location. Hence, we do not have any objection in situating the petrol pump on the proposed site.

29/06/2021

0135-2971093
9412004432
sierrainternational07@gmail.com
www.sierraschool.in
Sierra International School
Adjoining SBI Bank,
Mothrowala, D.Dun (U.K)

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND

AT NAINITAL

ON THE 13TH DAY OF MAY, 2021

BEFORE:

HON'BLE SHRI JUSTICE MANOJ KUMAR TIWARI

Writ Petition (M/S) No.986 of 2021

BETWEEN:

Trilok Semwal .....Petitioners

(By Anurag Bisaria, Advocate)

AND:

State of Uttarakhand & Ors. .....Respondents

(Mr. T.S. Phartiyal, Addl. C.S.C. for the State of Uttarakhand, Mr. Rajeev Bhatt, Advocate for respondent no.2, Mr. Rahul Consul for respondent no.4 and Mr. Vikas Bahuguna, Advocate for respondent no.7)

JUDGMENT

Heard.

2. For the reasons stated, Amendment application IA No.04/2021 is allowed. Let amended memo of parties be filed during the course of the day.

3. By means of this writ petition, petitioner has sought the following reliefs:-

(a) Issue an order or direction in the nature of mandamus directing the respondent's to take action against the illegal construction being made by the respondent no.7.

(b) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the resopndent's to prohibit the respondent no.7 to carry out further construction of the Petrol Pump which is in utter

disregard to the Rules and regulations as applicable in the present case.

(c) Issue a writ in the nature of mandamus directing the respondents to take a decision upon the representation/letter of the petitioner dated 01.05.2021.

3. According to the petitioner, respondent no.7 is running a petrol pump at Dehradun, even without getting the necessary permission from Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA).

4. Shri Vikas Bahuguna, learned counsel appearing for respondent no.7 admits that the respondent no.7 is running a petrol pump, although necessary permission from MDDA is awaited. However, he submits that respondent no.7 has obtained NOC/permission from other government agencies.

5. Shri Rahul Consul, learned counsel appearing for MDDA submits that the competent authority in MDDA has issued a show-cause notice to respondent no.7 on 04.05.2021, requiring him to show cause as to why the construction raised by her be not demolished. He further submits that by the said notice, respondent no.7 has been asked to stop any further construction on the site of the petrol pump.

6. Shri Vikas Bahuguna, Advocate submits that pursuant to the order dated 04.05.2021, his client has stopped further construction.

7. Having regard to the nature of reliefs claimed in the writ petition, the writ petition is disposed of with a direction to the Competent Authority in MDDA to

take decision on petitioner's representation dated 01.05.2021, which is Annexure no.2 to the writ petition, within four weeks from today. It goes without saying that while taking decision on petitioner's application, respondent no.7 will also be heard.

8. Pending applications, if any, also stand disposed of.

(MANOJ KUMAR TIWARI, J.)

Rajni

SL. No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
			WPMS No. 986 of 2021 **<u>Hon'ble Manoj Kumar Tiwari, J.</u>** Mr. Anurag Bisaria, Advocate for the petitioner. Mr. T.S. Phartiyal, Additional C.S.C. for the State of Uttarakhand. Mr. Rajeev Bhatt, Advocate has put in appearance on behalf of respondent no. 2. Mr. Rahul Consul, Advocate has put in appearance on behalf of respondent no. 4. Mr. Vikas Bahuguna, Advocate has put in appearance on behalf of respondent no. 7. Heard learned counsel for the parties through video conferencing. Put up this matter on 13.05.2021 to enable learned counsel for the petitioner to file appropriate application seeking amendment in the cause title of the writ petition. In the meantime, learned counsels for respondents may get necessary instructions in the matter. **(Manoj Kumar Tiwari, J.)** 10.05.2021 Navin